

प्रेषक,

रवीन्द्र कुमार द्विवेदी,  
आई0डी0 यू0पी06308  
विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण,  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (केन्द्रीय),  
लखनऊ

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा—

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
लखनऊ

**विषय— पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

ससम्मान् निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्र संख्या 9691/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) Dated July 16, 2024 के माध्यम् से उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28.06.2024 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे सभी कर्मचारी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आते हैं और राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या Sa-3-379/ X-2005-301(9)-2003 Dated 28.03.2005 जारी होने से पहले विज्ञापित पदों/रिक्तियों पर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित पुरानी पेंशन योजना से दिनांक 31.10.2024 की निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उ0प्र0 सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के तहत कवर करने की सुविधा दी गयी है तथा यह भी उल्लिखित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नियंत्रण में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारी, जिन्हें उ0प्र0 न्यायिक सेवा/यूपी.एच.जे.एस. की अधिसूचना दिनांकित 28.03.2005 जारी होने से पहले विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्त/चयनित किया गया है, के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने हेतु शासनादेश संख्या 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11.07.24 जारी किया गया है।

श्रीमान् जी को सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा जारी विज्ञापन संख्या ए-2/ई-1/2003 दिनांकित 22 नवम्बर, 2003 के माध्यम् से उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञापित संख्या 1087/डीआर (एस)/2006 के अनुक्रम में हुई थी। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त पद पर दिनांक 16.06.2006 को कार्यभार ग्रहण किया गया।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी पत्र एवं उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त शासनादेश के आलोक में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न विकल्प के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान कराने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

*Ravindra Kumar Dwivedi*  
(रवीन्द्र कुमार द्विवेदी)

विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण,  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (केन्द्रीय)  
लखनऊ

दि०-19.07.2024

आई०डी० यू०पी०६३०८

संलग्नक :-

1. शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28.06.2024 की छायाप्रति।
2. उक्त शासनादेश दि० 28.06.2024 के अनुक्रम में विकल्प हेतु जारी शासनादेश संख्या 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 की छायाप्रति।
3. उ०प्र०, लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या ए-2/ई-1/2003 दिनांकित 22 नवम्बर, 2003 की छायाप्रति।
4. माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध अधोहस्ताक्षरी की प्रोफाइल की छायाप्रति।
5. माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 1087/डीआर (एस)/2006 की छायाप्रति।

कार्यालय उच्च न्यायाधीश, लखनऊ  
संज्ञिक संख्या 3585/2024 दिनांक 24/7/24  
अवलम्बित किया गया।

माननीय न्यायाधीश, लखनऊ

**विकल्प पत्र**

1. नाम- रवीन्द्र कुमार द्विवेदी
2. वर्तमान पदनाम- विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (केन्द्रीय)/अपर जनपद न्यायाधीश, लखनऊ
3. वेतनमान- 1,72,960/-रु०
4. वर्तमान विभाग का नाम- जिला एवं सत्र न्यायालय, लखनऊ
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- नियुक्ति अनुभाग-4, उ०प्र० शासन
6. विज्ञप्ति की तिथि- 15 नवम्बर, 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 26.05.2006 (UP Government Appointment/Notification No.2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.05.2006 & Hon'ble High Court Notification No-1087/DR(S)/2006 dated June 13, 2006)
8. योगदान की तिथि- 16 जून, 2006
9. जन्मतिथि- 10.09.1975
10. सेवानिवृत्ति की तिथि- 30.09.2035  
मैं रवीन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र स्व० श्री रमेश कुमार द्विवेदी, शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (V) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर-

नाम-

पदनाम-

*Ravindra Kumar Dwivedi*  
19.07.24

रवीन्द्र कुमार द्विवेदी,  
आई०डी० यू०पी०६३०८

विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (केन्द्रीय)/  
अपर जनपद न्यायाधीश,  
लखनऊ

**घोषणा पत्र**

मैं रवीन्द्र कुमार द्विवेदी पदनाम विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (केन्द्रीय)/अपर जनपद न्यायाधीश, लखनऊ यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-

नाम-

पदनाम-

*Ravindra Kumar Dwivedi*  
19.07.24

रवीन्द्र कुमार द्विवेदी,  
आई०डी० यू०पी०६३०८

विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (केन्द्रीय)/  
अपर जनपद न्यायाधीश,  
लखनऊ

**सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा**

श्री रवीन्द्र कुमार द्विवेदी, पदनाम विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (केन्द्रीय)/अपर जनपद न्यायाधीश, लखनऊ को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (V) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनि्युक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2/-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4- इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

3/-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-
- (1). विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।
  - (2). उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।
  - (3). जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।
  - (4). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।
  - (5). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।
  - (6). ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।
- 6- पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार  
अपर मुख्य सचिव।

4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-सा-3-243(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार  
विशेष सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

नील रतन कुमार,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28  
जून, 2024 के क्रम में विकल्प दिये जाने हेतु प्रारूप ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

2/-

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।



-2-

3- उक्त निर्धारित प्रारूप पर संबंधित कार्मिक अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

नील रतन कुमार  
विशेष सचिव।

संख्या-20/2024/सा-3-276(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय  
अनु सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणीकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

## HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

A A- A A+

SRI RAVINDRA KUMAR DWIVEDI

Judge, Spl Court, Anti Corr CBI (C)  
Lucknow

Id No: UP6308  
 Father's/Husband's Name: RAMESH KUMAR DWIVEDI  
 Date of Birth: 10-09-1975  
 Date of Retirement: 30-09-2035  
 Home District: Prayagraj  
 Home State: Uttar Pradesh  
 Date of Appt. in Judicial Service as Munsif/CJ(JD): 16-06-2006  
 Date of Promotion in CJ/CJ(SD): 26-07-2011  
 Date of Conf. on Munsif/CJ(JD): 11-09-2019  
 Date of Promotion to Class-I: 26-07-2011  
 Date of Joining in HJS under Rule 22(3) of UP HJS Rule 1975:  
 Date of Joining in HJS under Rule 22(1) of UP HJS Rule 1975: 17-02-2018  
 Date of Conf. in HJS:

## Qualification Details

SL	DETAILS	DIVISION	YEAR
1.	High School	First	1991
2.	Intermediate	Second	1993
3.	B.A.	First	1997
4.	M.A.	First	1999
5.	LL.B.	First	2003

## Training Details

SL	SUBJECT	INSTITUTE	FROM-TO
1.	Foundation/Induction Training	I.J.T.R., U.P. Lucknow	23-08-06 - 06-10-06
2.	Induction Training	I.J.T.R., U.P. Lucknow	17-04-07 - 31-05-07
3.	One Week Course in Direct Trainer Skills	UPAAM, Lucknow	08-11-10 - 12-11-10
4.	NJA National Meeting of State Judicial Academies Core Curricula of State Judicial Academies	National Judicial Academy, Bhopal	07-01-11 - 09-01-11
5.	Refresher Training Programme for Judicial Magistrates/Civil Judges	I.J.T.R., U.P. Lucknow	10-01-11 - 19-01-11
6.	Mgmt training Programme (2nd Batch)	AIMT, Greater Noida	16-05-11 - 21-05-11
7.	National Court Excellence Enhancement Programme	National Judicial Academy, Bhopal	02-12-11 - 04-12-11
8.	Training Programme for Faculty of State Judicial Academies	National Judicial Academy, Bhopal	04-05-12 - 08-05-12
9.	National Conference of State Judicial Academies on key issues and challenges in judicial education	National Judicial Academy, Bhopal	12-10-12 - 14-10-12
10.	Refresher Training Programme for Civil Judges under 13th Finance Commission Scheme	I.J.T.R., U.P. Lucknow	28-01-13 - 01-02-13
11.	Ubuntu Awareness Training Programme	I.J.T.R., U.P. Lucknow	09-03-13 - 10-03-13
12.	Refresher Training Programme for Civil Judges under 13th Finance Commission Scheme	I.J.T.R., U.P. Lucknow	10-02-14 - 14-02-14
13.	Refresher Training Programme for Judicial Officers under 14 Finance Commission Scheme	I.J.T.R., U.P. Lucknow	04-09-17 - 08-09-17
14.	Training Programme on UBUNTU 16.04 & CIS 2.0	I.J.T.R., U.P. Lucknow	12-02-18 - 13-02-18
15.	Special Training Programme for recently promoted Addl. District and Sessions Judges	I.J.T.R., U.P. Lucknow	09-07-18 - 13-07-18

## Posting Details

SL	DESIGNATION PLACE	FROM TO	REMARKS
1.	Addl. Civil Judge (Junior Div.) Mirzapur	16-06-2006 06-06-2009	
2.	Civil Judge (Junior Div.) Lalitpur	09-06-2009 22-06-2010	
3.	Asstt. Director Inst. of Judl. Training & Research Lucknow	17-06-2010* 25-07-2011	Deputation
4.	Dy. Director Inst. of Judl. Training & Research Lucknow	26-07-2011 19-05-2014	Deputation
5.	Addl. Civil Judge (Sr.Div.)/ACJM. Agra	23-05-2014 14-07-2015	
6.	Secretary District Legal Services Authority Agra	14-07-2015 08-05-2017	
7.	Addl. Chief Judicial Magistrate Ayodhya	09-05-2017 19-02-2018	J.M. (Economic Offences) Fast Track
8.	Addl. District & Sessions Judge Ayodhya	19-02-2018 03-08-2018	
9.	A.D.J. (FTC) Ayodhya	03-08-2018 15-04-2019	
10.	A.D.J. (FTC) Ayodhya	15-04-2019 29-07-2019	
11.	Addl. District & Sessions Judge Ayodhya	29-07-2019 20-11-2019	
12.	O.S.D. (Judicial) (Criminal) High Court Prayagraj	21-11-2019 18-01-2020	Deputation
13.	Jt. Registrar (J)(Criminal) High Court Prayagraj	18-01-2020 24-11-2020	Deputation
14.	Registrar (J)(Criminal) High Court Prayagraj	24-11-2020 01-04-2023*	Deputation
15.	Addl. District & Sessions Judge Lucknow	16-05-2023 10-08-2023	
16.	Judge, Spl Court, Anti Corr CBI (C) Lucknow	11-08-2023	

(\* : The exact date on which charge taken/handed over is not known. This is the date of notification of transfer.)

(The above information is subject to verification by Services Section.)

CBI Judge  
Today at 1:06 pm



